न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 39 / 2017

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 टिकमाराम पुत्र वक्ताराम जाति मेघवाल निवासी माण्डल, तहसील रानी		मृतक नगाराम पुत्र हंसाजी के का0मु0 1 प्रतापराम 2 बाबुलाल 3 मोहनलाल 4 हकाराम 5 मोनाराम 6 लालाराम पि0 नगाराम जातिगण मेघवाल निवासीगण माण्डल 7 सरपंच ग्राम पंचायत माण्डल, पंचायत समिति रानी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री नवीन दवे, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. अप्रार्थी एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक 29.12.2017

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत माण्डल द्वारा मिसल संख्या 05 / 1982–1983 में पारित प्रस्ताव संख्या 0 दिनांक 05.08.1984 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 08 दिनांक 10.08.1984 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता नियत तारीख पेशी पर बहस हेतु उपस्थित नही हुए। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी नगाराम का पौत्र है। नगाराम व चुन्नीलाल भाई थे। नगाराम व चुन्नीलाल का रहवासीय मकान ग्राम माण्डल में स्थित है, जिसमें वे निवास करते थे, जिसमें वर्तमान में प्रार्थी एवं उसके भाई ताराराम, सोनाराम आदि परिवार वाले निवास करते है। प्रार्थी ने निगरानी के साथ नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है, जिसमें मार्क ए0बी0सी0डी0 भाग चुन्नीलाल का मकान है तथा मार्क सी0डी0ई0एफ0 नगाजी का मकान है। चुन्नीलाल के मकान के पूर्व की तरफ नगा पुत्र हंसाजी का मकान स्थित है तथा नगाजी के पश्चिम में बायोसा का मन्दिर स्थित है। नगा व वेला के परिवार वालों ने आपसी रजामन्दी से उक्त भूमि को चारा भागों में विभक्त किया, जिसमें से मार्क 1 प्रार्थी का मकान, मार्क 2 ताराराम का मकान, मार्क 3 सोनाराम का मकान एवं मार्क 4 फौजाराम का मकान स्थित है। प्रार्थी के पिता वक्ताराम द्वारा अपने मकान का पट्टा संख्या 146 जारी

अति० जिला कलेक्टर, पाली

करवाया है। इस पट्टे में पूर्व की तरफ दरवाजा व रास्ता है एवं इसी तरह ताराराम द्वारा भी पट्टा प्राप्त किया है, जिसके पट्टा संख्या 123 है, जिसके उत्तर की तरफ वक्ता पुत्र नगाजी का मकान है। इस पट्टे के उत्तर में तारा पुत्र नगाजी का मकान है। इस प्रकार उक्त पट्टे मौके पर स्थित है, इन सभी पट्टों के पश्चिम की तरफ बायोसा का मन्दिर व धर्मशाला स्थित है व इन पट्टों के पूर्व की तरफ 6 फुट की गली है, जो रास्ते के रूप में उपयोग में ली जा रही है। अप्रार्थीगण के पिता नगाराम पुत्र हंसाजी ने अपनी कोई भूमि नही होते हुए भी गलत पडौस एवं भुजा अंकित करते हुए तीन अलग अलग पट्टे अपने पक्ष में जारी करवाये। अप्रार्थीगण के पिता द्वारा ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए रास्ते की भूमि पर पट्टा जारी करवाया है। उक्त भूमि आबादी भूमि नही है तथा रास्ते एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग की भूमियों का पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को अधिकार नही हैं। अप्रार्थीगण द्वारा जो पट्टे जारी करवाये है, वे गलत भुजाओं एवं मौके पर बने पट्टों के पडौस नही होते हुए भी गलत पडौस दर्शाकर पट्टे जारी किये गये है। जैर निगरानी मिसल में नक्शा एवं निरीक्षण प्रपत्र पर दिनांक अंकित नही है तथा पंचों द्वारा गैर कानूनी रूप से रिपोर्ट पेश की है। भूमि पर कब्जा कितना पुराना है, प्लॉट की बाजार कीमत क्या है ? आदि का अंकन नही किया है। पंचायत द्वारा विधिवत रूप आपत्ति नोटिस जारी नही किया तथा न ही नियमों की पालना की। जिन आज्ञापक प्रावधानों की पालना की जानी थी, उनको नजर अन्दाज करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो आरम्भ से ही शून्य है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत माण्डल द्वारा मिसल संख्या 05/1982–1983 में पारित प्रस्ताव संख्या 0 दिनांक 05.08.1984 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 08 दिनांक 10.08.1984 के विरूद्ध पेश की गई है। जैर निगरानी पट्टे की मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी नगाराम पुत्र हंसाजी ने सरपंच ग्राम पंचायत माण्डल के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पुश्तैनी मकान का पट्टा जारी कराने का निवेदन किया तथा प्रार्थना पत्र में वांछित भूमि के जो पडौस अंकित किये है, उसके अनुसार उत्तर में रास्ता गली, दक्षिण में रास्ता गुजर गली, पूर्व में मूला पुत्र हका व केसा पुत्र पीरा मेघवाल तथा पश्चिम में चुना वेला होना अंकित किया। इस पर सरपंच ग्राम पंचायत माण्डल द्वारा मिसल कायम करने के आदेश पारित किया। इस पर दिनांक 28.11.1982 को मिसल दर्ज रजिस्टर कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। इसके पश्चात दिनांक 30.11.1982 को तीन पंचों को मौका निरीक्षण करने एवं नक्शा सहित आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के आदेश दिये। उक्त आदेश की पालना में जो मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, उस पर किसी भी वार्ड पंच के हस्ताक्षर नही है। इसके पश्चात रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर एक माह का आपत्ति पत्र जारी करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश की पालना में किसी प्रकार का आपत्ति पत्र जारी किया गया हो, ऐसा रेकर्ड पर नही है तथा न ही मिसल के संलग्न कोई आपत्ति पत्र संलग्न है। इसके पश्चात पुश्तैनी मकान के सत्यापन हेतु दो गवाहों के बयान कलमबद्ध करने के आदेश पारित किये गये, किन्तु उक्त आदेश की पालना में किन्ही गवाहों के बयान कलमबद्ध किये गये हो, ऐसा न तो रेकर्ड पर है तथा न ही बयानात् मिसल के संलग्न है। इसके पश्चात 51/– रूपये की राशि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अति० जिला कलेक्टर, पाली

पर जैर निगरानी पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये गये। जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह नियम 266 के तहत किया गया है।

हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी पट्टे में जो पडौस अंकित किये गये है, वह अप्रार्थी द्वारा चाही गई भूमि से भिन्न अंकित किये गये है। अप्रार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में वांछित भूमि के उत्तर में रास्ता गली होना अंकित किया है, जबकि जो मौका नक्शा मिसल के संलग्न है। उसमें उत्तर में खुद का मकान होना अंकित किया हैं। पट्टे में जो पडौस अंकित किये गये है उसमें वांछित भूमि के तीन तरफ रास्ते होना अंकित किया तथा पूर्व दिशा की स्थिति को स्पष्ट नही किया है।

राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 255 से नियम 261 में आबादी भूमि की बिक्री के प्रावधान वर्णित है। जिसके तहत नियम 256 (1) के तहत इच्छुक व्यक्ति द्वारा क्रय हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा एवं (2) के तहत आवेदन पत्र के साथ खरीदी जाने वाली भूमि का नक्शा तैयार करने हेतु दो रूपये की राशि पंचायत में जमा करायेगा। नियम 256 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियम 257 के तहत नक्शा तैयार किया जाना। इसके पश्चात नियम 258 के तहत पंचायत संकल्प द्वारा अपने पंचों में से किन्ही तीन पंचों को वांछित स्थल के निरीक्षण हेतु मनोनीत करती है, जो पंच अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करते है। पंचों की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर नियम 259 के तहत पंचायत बैठक में प्रस्तावित भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में पंचायत अस्थाई रूप से निर्णय पारित करेगी। इसके पश्चात नियम 260 के तहत प्रपत्र 50 में एक माह का आपत्ति आमन्त्रित करेगी। इसके पश्चात नियम 261 के तहत आपत्तियों का निस्तारण किये जाने तथा नियम 262 के तहत भूमि के नीलामी के प्रावधान है। इसके पश्चात नियम 263 के तहत भुगतान तथा भुगतान न करने पर पुनर्विक्रय के प्रावधान वर्णित है। नियम 264 में नीलामी की प्रक्रिया तथा नियम 265 में नीलाम की पुष्टि प्रावधित है। नियम 266 के तहत निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण के प्रावधान है। नियम 267 में भूमियों का निःशुल्क आवंटन तथा नियम 267 (क) के तहत विस्थापितों एवं भूतपूर्व सैनिकों को भूमि के आवंटन के नियम प्रावधित है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत इस न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्व–प्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहीयों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख, उनमें पारित किसी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहीयों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिये मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए, तो वह तद्नुसार आदेश पारित कर सकेगी। हस्तगत प्रकरण में राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 255 से नियम 261 में विहित प्रक्रिया की पालना नही की गई है। इस कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को किसी भी रूप में न्यायोचित नही माना जा सकता है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत माण्डल द्वारा मिसल संख्या 05/1982–1983 में पारित प्रस्ताव संख्या 0 दिनांक 05.08.1984 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या

अति० जिला कलेक्टर, पाली

08 दिनांक 10.08.1984 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली